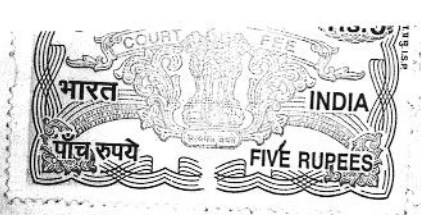

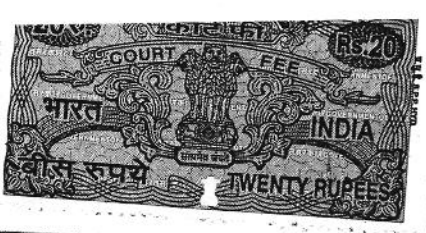

Entry 6

(72)

न्यायालय अध्यक्ष / सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट केम्प भोपाल.

निगरानी- 2645/2018/भोपाल/भू.रा. प्र0क0 निगरानी / 2016—17

सर्वधर्म गृह निमार्ण सहकारी समिति
मर्यादित
सेन्टर मार्केट मालवीय नगर राज
भवन के सामने भोपाल।
द्वारा:— अध्यक्ष आर.के.चतुर्वेदी

.... आवेदक

विरूद्ध

कावेरी गृह निमार्ण सहकारी समिति
मर्यादित
पता— दुकान नं.—1 सम्राट होटल
इमामी गेट भोपाल।
द्वारा:— अध्यक्ष खालिद खॉ

.... अनावेदक

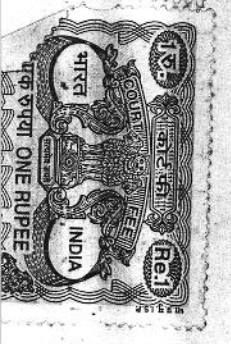

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा--50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक संस्था की ओर से विद्वान राजस्व निरीक्षक वृत्त--3 तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा उनके प्रकरण कमॉक—187 / अ—12 / 16—17 में पारित आदेश दिनॉक--03—10—2017 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है,कि उपरोक्त अनावेदक संस्था गृह निमार्ण सहकारी समिति है जिसके अध्यक्ष खालिद खॉ द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष एक आवेदन—पत्र भू—राजस्व संहिता की धारा 129 का प्रस्तुत कर ग्राम बंजारी पटवारी हल्का कमॉक—30 भूमि के सर्वे कमॉक— 297, 298 / 1 / 2, 299 / 1 / 2, 300 / 2 / 1 रकबा कमशः 0. 220, 0.280, 0.510, 1.020 हैक्टेयर कुल रकबा 2.030 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन कराने हेतु निवेदन किया।

राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनॉक--12--09--2017 को प्रस्तुत किये गये आवेदन--पत्र दिनॉक--13--09--2017 को सूचना--पत्र जारी कर दिनॉक--23--09—2017 को सीमांकन हेतु तिथि नियत की। दिनॉक—23--09—2017 टी.एस.एम मशीन से पडोसी कृषक की अनुपस्थिति

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2645/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	